रजिस्ट्री सं० डी एल (एन)-04/0007/2003—05 REGISTERED NO. DL (N)-04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 25—अक्तूबर 1, 2004 (आश्विन 3, 1926)
No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPT. 25—OCTOBER 1, 2004 (ASVINA 3, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	797
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1005
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	3
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1311
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1 क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3 उपखण्ड—(iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	967
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	7349
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	4087
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	209
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक	*

*कोई भाग नहीं हुए।

251 GI/2004

CONTENTS

Page

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. 797

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. 1005

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence .. 3

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .. 1311

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations ..*

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinance and Regulations ..*

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills ..*

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..*

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).*

Page

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ..*

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..*

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India. .. 967

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .. 7349

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners .. —

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .. 4087

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .. 309

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi ..*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 09 सितम्बर 2004

शुद्धि-पत्र

सं० ई-11011/3/2003-हिंदी--वस्त्र मंत्रालय के 6 फरवरी 2004 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की सदस्यता सूची में क्रम संख्या 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 में निर्दिष्ट संसद सदस्यों के स्थान पर संसदीय राजभाषा समिति और संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित निम्नलिखित संसद सदस्यों को गैर-सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है :-

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित संसद सदस्य :

2. श्री मोहन सिंह, संसद सदस्य (लोक सभा)
3. श्री जी० वेंकटस्वामी, संसद सदस्य (लोक सभा)

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित संसद सदस्य :

4. श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर, संसद सदस्य (लोक सभा)
5. श्री जीवाभाई अंबालाल पटेल, संसद सदस्य (लोक सभा)
6. श्री हरीश रावत, संसद सदस्य (राज्य सभा)
7. श्री अजय मारू, संसद सदस्य (राज्य सभा)

2. समिति की अन्य शर्तें, कार्य व कार्यकाल आदि यथावत रहेंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस शुद्धि-पत्र की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस शुद्धि-पत्र को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

अतुल चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त 2004

संकल्प

सं० एफ- 30-5/2001-यू० 3--जबकि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् का पुनर्गठन 18 फरवरी, 2002 को हुआ था और भारत सरकार द्वारा 18 इतिहासकारों को नामित किया गया था, इसलिए भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष के रूप में प्रो० डी० एन० त्रिपाठी का नामांकन और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से प्रो० के० वी० रमण द्वारा त्यागपत्र देने के कारण दो रिक्तियां हुई हैं । भारत सरकार एतद्द्वारा प्रो० डी० एन० त्रिपाठी और प्रो० के० वी० रमण के स्थान पर निम्नलिखित इतिहासकारों का दिनांक 25-3-2005 तक की अवधि के लिए नामित करती है :—

(i) प्रो० के० एन० पाणिक्कर, कुलपति, श्री संकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, एर्नाकुलम ।

(ii) प्रो० रजत कान्त रे, इतिहास विभाग, प्रेजिडेन्सी कॉलिज, कोलकाता ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की सूचना सदस्य सचिव, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद्, 35 फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली-110001 ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

डॉ० डी० के० पालीवाल,
उप शिक्षा सलाहकार

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 4 सितम्बर 2004

सं० ई आर बी-1/2004/23/29--27 फरवरी 2002 को लगभग 07.47 बजे, साबरमती एक्सप्रेस गाड़ी सं० 9166 गोधरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म से रवाना हुई और उसके तत्काल बाद कोच एस-6 को आग को चपेट में देखा गया; और

उस आग में उस सवारीडिब्बे के लगभग 59 यात्री, जिनमें से अधिकांश बिना आरक्षण यात्रा कर रहे थे, मारे गए और 24 यात्री घायल हुए, इसके अलावा रेलवे संपत्ति को भारी नुकसान हुआ और संचार व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई; और

रेल अधिनियम, 1989 की धारा 114 के तहत रेल सुरक्षा आयुक्त अथवा रेल प्रशासन सहित किसी अन्य प्राधिकारी ने यह मान कर "आग के कारण" का पता लगाने के लिए कोई जांच-पड़ताल शुरू नहीं की कि वह गुजरात सरकार द्वारा जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत आयोग का गठन करवाए जाने को ध्यान में रखते हुए रेल अधिनियम, 1989 की धारा 119 द्वारा बाधित होगी; और

भारत सरकार ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत 6 मार्च 2002 को गुजरात सरकार द्वारा जारी अधिसूचना जिसे 21 मई 2002 की अधिसूचना और पुनः 20 जुलाई 2004 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया है जिसके द्वारा विचारार्थ विषय के दायरे को बढ़ाया गया था, की ध्यानपूर्वक जांच करने और अपनी संतुष्टि करने के उपरांत यह उल्लेख किया कि वह इसके अंतर्गत प्रस्तावित जांच-पड़ताल को रोकेगी नहीं; और

रेलवे संपत्ति की सुरक्षा और रेल संपत्ति को नुकसान से बचाना और रेल यात्रियों के जीवन की सुरक्षा भारत सरकार की जिम्मेदारी है; और

न केवल इस दुर्घटना के कारण का पता लगाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है बल्कि उक्त गाड़ी में अधिक भीड़-भाड़ और अप्राधिकृत यात्रियों के प्रवेश तथा इस मामले में रेलवे पदाधिकारियों की भूमिका, यदि कोई हो, की भी जांच आवश्यक है, और

चूंकि रेलवे का परिचालन देशभर में फैला है और इस प्रकार की घटना का प्रभाव मात्र गोधरा तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता इसलिए भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से किए जाने वाले विभिन्न उपचारी और निवारक उपायों का पता लगाने की आवश्यकता है, और

आम घटनाओं सहित रेलवे दुर्घटनाओं में मरने वालों तथा घायलों की संख्या को कम करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि ऐसी स्थितियों में विशेष रूप से गोधरा दुर्घटना में हुई भारी जीवन हानि तथा रेलवे संपत्ति को हुई क्षति को देखते हुए, राहत तथा बचाव कार्यों के लिए तैयारी की समीक्षा की जाए, और

भारत सरकार रेलवे संरक्षा, राहत तथा बचाव कार्यों को सार्वजनिक हित का अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा मानती है जिसके लिए विभिन्न उपाए किए जाने अपेक्षित हैं जिनमें प्रौद्योगिकी का अपग्रेडेशन, रेलवे की कार्यप्रणाली में सुधार तथा इसके कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना शामिल है ।

अतः भारत सरकार, रेल मंत्रालय आग के कारणों तथा इससे संबंद्ध सामान्य मामलों और इसके परिणामों का पता लगाने को सार्वजनिक हित में अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 73 के अंतर्गत प्रदत्त कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय के 20-11-1975 के पत्र सं० 105/1/1/75-सी एफ के अनुसार एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करती है, जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री यू० सी० बैनर्जी शामिल हैं ।

(क) 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 सवारी डिब्बे में आग लगने के सुस्पष्ट कारण का पता लगाना और ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के उपयुक्त उपायों को सिफारिश करना ।

(ख) उन घटनाओं, घटनाक्रमों तथा परिस्थितियों का पता लगाना जो 25 फरवरी 2002 को मुजफ्फरनगर से इस गाड़ी के छूटने के बाद और गोधरा में इसके पहुंचने से पहले तथा उसके बाद (बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों सहित) घटित हुई और क्या वे व्यक्तिगत तौर पर अथवा संयुक्त रूप से आग लगने के कारण बने;

(ग) उन कारणों का पता लगाना कि कोच नं० एस-6 में यात्रियों की इतनी अधिक भीड़-भाड़ क्यों थी, जिनमें अधिकांश का उक्त कोच में आरक्षण नहीं था, और क्या उनके किसी व्यवहार से आग की यह घटना घटी ।

(घ) रेल प्रशासन के पदाधिकारियों और कर्मचारियों तथा सुरक्षा कर्मचारियों की ओर से होने वाली किसी गलती, लापरवाही अथवा चूक का पता लगाना जो यदि न होती तो इतने बड़े पैमाने पर जान-माल के नुकसान से बचा जा सकता था;

(ङ) किसी अन्य संभावित आंतरिक और बाहरी कारकों और/या उत्तेजक परिस्थितियों का पता लगाना जिसके कारण यह वारदात हुई ।

(च) आग की घटना के लिए जिम्मेदार कार्यों और/अथवा त्रुटियों का पता लगाना और उसके लिए व्यक्तिगत अथवा सामूहिक तौर पर जिम्मेदारी निर्धारित करना;

(छ) उन्नत प्रौद्योगिकी शामिल करने के उद्देश्य से रेलवे सवारी डिब्बों को अग्निरोधी विशेषताओं और अग्निशमन उपायों की पर्याप्तता की जांच करना तथा गाड़ियों में और रेलवे स्टेशनों पर आग को रोकथाम के लिए पूर्वोपाय सुझाना ।

(ज) एस-6 सवारी डिब्बे में राहत एवं बचाव कार्य की दृष्टि से तैयारी और वास्तविक कार्रवाई की जांच करना और ऐसी स्थितियों में कार्रवाई की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उपाय सुझाना ।

समिति द्वारा जब कभी सभी संबंधित रिकार्ड और सूचना की मांग की जाए, रेल प्राधिकारी उसे उपलब्ध कराएंगे।

समिति अपनी कार्यविधि का अनुसरण करेगी ।

यह उच्च स्तरीय समिति भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री यू० सी० बैनर्जी के अधीन गठित की गई है । जिनकी सहायता के लिए निम्नलिखित विशेषज्ञ भी रहेंगे :—

1. रेलवे विशेषज्ञ (बिजली इंजीनियरी)
2. रेलवे विशेषज्ञ (यांत्रिक इंजीनियरी)
3. अग्नि सेवाओं से संबंधित विशेषज्ञ

भारतीय रेल यातायात सेवा का एक वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा ।

उच्च स्तरीय समिति अपनी जांच पूरी करेगी और तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

भारत के राष्ट्रपति के नाम और उनके आदेश से जारी ।

वी० एन० माथुर,
सचिव, रेलवे बोर्ड

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को सामान्य सूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

के० एम० नारायणन, संयुक्त सचिव (राज)

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi-110011, the 9th September 2004

CORRIGENDUM

No. E. 11011/3/2003-Hindi -In continuation of the Ministry of Textiles resolution of even number dated 6-2-2004, the following 6 members of Parliament as nominated by the Committee of Parliament on Official Language and Ministry of Parliamentary Affairs in place of Members of Parliament at Serial No. 2,3,4,5,6, and 7 are included in the list of members of the Hindi Advisory Committee of this Ministry as Non official members :—

Members nominated by the Committee of Parliament on Official Languauge

2. Shri Mohan Singh, M. P. (Lok Sabha)
3. Shri G. Venkatswamy M. P. (Lok Sabha)

Members nominated by the Ministry of Parlimentary Affairs

4. Smt. Jayaben B. Thakkar, M. P. (Lok Sabha)
5. Shri Jivabhai Ambalal Patel, M. P. (Lok Sabha)
6. Shri Harish Rawat, M. P. (Rajya Sabha)
7. Shri Ajay Maroo, M. P. (Rajya Sabha)

All other terms and conditions, functions and tenure of the Committee shall remain unchanged.

ORDER

Ordered that a copy of this corrigendum be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, A.G.C. R. and all Ministries and Departments of Government of India.

Ordered also that the corrigendum be published in the Gazette of India for general information.

ATUL CHATURVEDI
Jt. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 31st August 2004

RESOLUTION

No. F.30-5/2001-U.3—Whereas the Council of Indian Council of Historical Research was reconstituted on 18th February 2002 and 18 historians were nominated by the Government of India. Due to nomination of Prof. D, N, Tripathi as Chairman, ICHR and resignation of Prof. K. V. Raman on health grounds, two vacancies have arisen. Government of India hereby nominate the following historians in lieu of Prof, D. N. Tripathi and Prof. K. V. Raman for the period upto 25-3.2005 :—

(i) Prof. K. N. Panikkar, Vice-Chanceller, Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Ernakulam.

(ii) Prof. Rajat Kant Ray, Department of History, Presidency College, Kolkata.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to the Member-Secretary, Indian Council of Historical Research, 35, Ferozeshah Road, New Delhi-110001.

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for General Information.

Dr. D. K. PALIWAL,
Dy. Educational Adviser

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 4th September 2004

No. ERB-I/2004/23/29—WHEREAS on 27th February 2002 at about 07.47 hours. the Sabarmati Express Train No 9166 left the Godhra Railway Platform and soon thereafter coach S-6 was seen on fire; and

WHEREAS as many as 59 passengers of that coach, most of them without reservation, died and 24 sustained injuries, besides heavy loss to railway property and disruption of through communication, in that fire; and

WHEREAS no investigation or Inquiry was undertaken by the Commissioner of Railway Safety under Section 114 of the Railways Act, 1989 or by any other authority, including the Railway administration, to ascertain the 'Cause of fire' on the assumption that it would be barred by section 119 thereof in view of the Government of Gujarat having appointed a Commission under Commissions of Inquiry Act, 1952; and

WHEREAS the Government of India having carefully examined the Notification issued by the Government of Gujarat on 6th March 2002 under sub-section (1) of section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 as amended by Notification dated 21st May 2002 and again by Notification dated 20th July, 2004 enlarging the terms of reference and being satisfied that they do not bar the investigation and inquiry proposed hereunder; and

WHEREAS it is the responsibility of the Government of India to protect railway property and prevent damage to such property as also prevent loss of life of railway passengers; and

WHEREAS there is a felt need not only to investigate the cause of incident but also other issues concerning railway safety like over-crowding and entry of unauthorized passengers in the said train as also the role of the railway officials, if any, in the matter; and

WHEREAS with a view to avoid occurrence of such incidents in the future in the railways, as the operation of the railways extend all over India and the effect of such an incident cannot be restricted to Godhra alone, it is necessary to explore various remedial and preventive actions that need to be taken; and

WHEREAS with a view to minimize loss of life and injury in railway accidents, including incidents of fire, it is necessary to review preparedness for rescue and relief operations in such situations, particularly in the light of heavy loss of life and damage to railway property in the Godhra incident; and

WHEREAS the Government of India considers Railway safety, rescue and relief as issues of utmost public importance that require various measures to be taken involving upgradation of technology, improvement of railway working procedures and training of its employees.

NOW THEREFORE, the Government of India, the Ministry of Railways, in exercise of the executive powers vested under Article 73 of the Constitution of India considers it of utmost public importance to ascertain the cause of fire and generally matters connected therewith and incidental thereto and in particular matters specified hereunder, hereby constitutes a High Level Committee consisting of Mr. Justice U. C. Banerjee, a retired Judge of the Supreme Court of India, in terms of the Cabinet Secretariat's letter No. 105/1/1/75-CF dated 20-11-1975;

(a) to ascertain the precise cause of fire in coach S-6 of Sabarmati Express on 27th February 2002 and to recommend suitable measures to prevent such incidents;

(b) to ascertain the events, developments and circumstances that took place after the train left Muzaffarpur on 25th February 2002 and before it reached Godhra and beyond (including the States of Bihar, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh) and if those causes individually or conjointly, contributed to the fire;

(c) to ascertain why the said train, including S-6 coach was overcrowded with passengers, many of whom were without reservation, and if their behaviour in any manner contributed to the fire;

(d) to ascertain if there was any wrongful act, neglect or default on the part of officials and workmen of the railway administration and its security staff but for which such large-scale loss to life and property could have been averted;

(e) to ascertain any other probable internal and external factors and/or aggravating circumstances that may have led to the tragedy.

(f) to ascertain acts of commission and/or omission responsible for the cause of fire

and to fix responsibility for the same, individually or collectively;

(g) to examine the adequacy of the fire retardant features of railway coaches and fire fighting measures with a view to inducting a superior technology and to suggest safeguards for prevention of fire on trains and at railway stations.

(h) to examine the preparedness and actual response with respect to rescue and relief operations in S-6 coach and recommend measures for improving the quality of response in such situations.

The Railway authorities shall make available all the relevant records and information as and when required by the Committee.

The Committee shall follow its own procedure.

The High Level Committee shall be consisting of Mr. Justice U. C. Banerjee, Judge (Retd), Hon'ble Supreme Court of India who shall be assisted by the following experts :—

1. A Railway Expert (Electrical Engineering)
2. A Railway Expert (Mechanical Engineering)
3. An Expert in Fire Services.

A Senior Administrative Grade Officer of the Indian Railway Traffic Service will function as Secretary to the Committee.

The High Level Committee shall complete its findings and submit its report within three months.

By order and in the name of the President of India.

V. N. MATHUR, Secy.

ORDER

Ordered that the Notification be published in the Gazette of India for general information.

K. M. NARAYANAN
Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2004
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD.
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2004